कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) **ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in**

क्रमांक/मा.चि./2024/ 1367 शहडोल, दिनांक : 18 / 06/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल

विषय :– शहडोल जिले के वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र केशवाही अन्तर्गत रामपुर–बटुरा खुली खदान हेतु 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रपोजल ऑनलाईन क्रमांक- PF/MP/MIN/18959/2016.

संदर्भ :– महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर का पत्र क्रमांक/129 दिनांक 27.05.2024.

.☆☆☆.

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र से महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर द्वारा वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र केशवाही के अन्तर्गत रामपुर–बटुरा खुली खदान में प्रस्तावित ग्राम बेलिया तथा ग्राम अतरिया की राजस्व वनभूमि के निम्न खसरे रकवा 4.654 हे0 खुली खदान हेतु प्रकरण ऑनलाईन किया जाकर आवेदित क्षेत्र का सीमांकन/डिमार्केशन राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त प्रकरण का मेरे द्वारा दिनांक 13.06.2024 को संयुक्त निरीक्षण आवेदक संस्थान के उपस्थिति में किया गया। परियोजना में शामिल भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

वन परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	रकवा हे.में
केशवाही	सोहागपुर	बेलिया	13/1, 14/1	2.797
—"—	—"—	अतरिया	826	1.857
			योग :– कुल 03 खसरा	**4.654**

1. परियोजना की भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न है।
2. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि की KML file प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
3. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि की जियो रिफरेन्स मैप जी.पी.एस. रीडिंग पोर्टल में अपलोड किया गया है। प्रस्ताव में संलग्न है।
4. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण की स्वीकृति के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा कोई अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
5. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006) के अन्तर्गत अधिकारों के विनिश्चियन की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र

क्रमांक/2035 दिनांक 14.10.2022 से कलेक्टर जिला शहडोल को लेख किया गया है। छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

6. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि की 1:4000 स्केल का मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

7. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि की Outer boundary of mining lease area का मैप प्रस्ताव में संलग्न है।

8. परियोजना में Transportation हेतु टीप प्रस्ताव में संलग्न है।

9. भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गई राशि एवं अधिरोपित शर्तो को मान्य करने बावत् आवेदक संस्थान द्वारा बचन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में संलग्न है।

10. उपरोक्त परियोजना वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र केशवाही के तहसील सोहागपुर के ग्राम बेलिया एवं अतरिया में 03 खसरों में राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र की स्थल गुणवत्ता IVb है, जिसका घनत्व 0.4 से कम है।

11. परियोजना में प्रभावित वनभूमि में खड़े विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की गणना कराई गई। वनभूमि में मिश्रित प्रजाति के 152 वृक्ष मौके में खड़े पाए गये। प्रजातिवार साईजवार सूची एवं इस्टीमेटेड ईल्ड प्रस्ताव में संलग्न है। विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकवा	वृक्ष संख्या	ईमारती घ.मी.	जलाऊ घ.मी.
बेलिया	13/1	1.748	54	19.257	20.777
–'–	14/1	1.049	43	1.468	7.225
अतरिया	826	1.857	55	5.879	19.821
योग	**03 khasra**	**4.654**	**152**	**26.604**	**47.823**

12. उपरोक्त वृक्षों के कटाई हेतु अनुमानित विदोहन योजना कुल राशि रू. 4,30,345/– की तैयार की गई है। प्रस्ताव में संलग्न है।

13. आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि रू. 5000/–एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रू. 30000/– कुल राशि रू. **35000/–** मद संख्या 0406–01–800–0229 में दिनांक 17.06.2023 को जमा किया गया है। चालान की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

14. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि 4.654 हे. के एवज में दोगुने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण परिक्षेत्र केशवाही के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 1042 रकवा 9.308 हेक्टेयर की वर्ष 2023–24 से 2033–34 तक के लिये तैयार की गई है। उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक/229 दिनांक 03.07.2023 से जारी की गई है। प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न है।

15. प्रस्तावित राजस्व वनभूमि किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही है।

16. प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना नही पाया गया है।

17. आवेदक संस्थान/विभाग से अन्य किसी प्रोजेक्ट में सी.ए./एन.पी.व्ही. की राशि वसूल करने हेतु कोई प्रकरण वनमण्डल अन्तर्गत लंबित नही है।

18. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि 4.654 हेक्टेयर की अनापत्ति संबंधित तहसीलदार का प्रमाण–पत्र आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

19. आवेदक संस्थान द्वारा Cost-Benefit Analysis की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

20. परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि को 1:50000 स्केल के सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में स्थल दर्शाया जाकर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

अतः प्रकरण में अनुशंसा कर प्रस्ताव की 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(श्रद्धा पन्द्रे)
वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/ शहडोल, दिनांक : /06/2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल

D:\YEAR 2024\NEEREKSAN TEEP Rampur Batura 4.654 ha.doc4